न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 128 / 2025(GCMS 2025/517)

(RTI No. 212133214946824)

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम गांव मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 96361–26699)

बनाम

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राकेश कुमार स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होंनें जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थन पत्र दिनांक 01.09.2025 से 05 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राकेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. प्रवर्तन निरीक्षक पूर्ण सिंह शेखावत (EI) जब से सूरतगढ में नियुक्त हुए है, नियुक्ति की तारीख से उनके द्वारा किए गए जांच कार्यवाही जो निम्न प्रकार से है:
   (1) गैस रिफलिंग, अवैध डीजल से संबंधित जांच एवं कार्यवाही दिनांक 30.08.2025 तक की, प्रमाणित प्रतिलिपि
2. राशन डिपो होल्डर, जो सूरतगढ शहरी एवं ग्रामीण है उन डिपो होल्डर में से किस डिपो होल्डर को अस्थाई रूप से कब–कब किस डिपों के साथ अटैच किया है,उन सभी डिपो होल्डर के अटैच अस्थाई व्यवस्था की पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. किस डिपो होल्डर को अन्य डिपो होल्डर के साथ अस्थाई रूप से कितने समय तक अटैच किया जा सकता है, नियमावली की जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
4. सूरतगढ शहर एवं ग्रामीण डिपों होल्डर की कितनी संख्या है किस डिपो होल्डर के साथ कौनसा डिपो अटैच है कब [illegible] कर अस्थाई व्यवस्था प्रवर्तन निरीक्षक पूर्ण सिंह शेखावत के [illegible] समय से दिनांक 30.08.2025 तक की संपूर्ण [illegible] संबंधी जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
5. ग्राम पंचायत निरवाना तहसील सूरतगढ की पोस म[illegible] संख्या 11857 कितने समय से बंद है, बंद होने के कारण की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 128 / 2025
(GCMS No. 2025/517)
(RTI No. 212133214946824)
राकेश कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक रसद / आरटीआई / 2025 / 162 दिनांक 21.01.2026 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.09.2025 से प्रार्थी को जवाब दिया जा चुका है और **जिला रसद अधिकारी,** श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक क्रमांक रसद / आरटीआई / 2025 / 1635 दिनांक 25.09.2025 से प्रार्थी / अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1,2,3 व 5 में चाही गई सूचना धारा 8(1)(जी), (एच), (जे) के अनुसार देय नहीं है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जी) के अनुसार, ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के खतरा हो सकता हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायक के स्त्रोत की पहचान हो सकती हो, देय नहीं है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के अनुसार, ऐसी सूचना जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी, देय नहीं है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार, ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण करेगी, देय नहीं है। केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/RAILB/A.2018/129475 निर्णय दिनांक 24.12.2019 में यह निर्णय पारित किया गया कि–'' आयोग ने दखा कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी है। अपीलकर्त्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 03 के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड कार्यालय स्तर पर संधारित नहीं किया गया है तथा खाद्य विभाग, जयपुर के **पब्लिक डोमेन ऑनलाईन पोर्टल food.rajasthan.gov** [illegible] **वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकते है।**

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2''च'' [illegible] सूचना से तात्पर्य किसी भ स्वरूप में कोई भी सामग्री [illegible] किसी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सल[illegible] प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट कागजपत्र नमूने, मॉडल, आंकडों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16) / प्रसू / सूअप्र / 2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 मे यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यो'' प्रशन के उत्तर सम्मिलित नहीं है। रिट पैटीशन संख्या 419 / 2007 डा. सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 128 / 2025
(GCMS No. 2025/517)
(RTI No. 212133214946824)
राकेश कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं को समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सूजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

माननीय सूचना आयुक्त, राजस्थान, राजय सूचना आयोग, जयपुर के पत्रांक रासूआ / निर्णय / CIC/SGNR/A/2020/104467 दिनांक 14.07.2021 के द्वारा आरटीआई द्वितीय अपील संख्या CIC/SGNR/A/2020/104467 निर्णय दिनांक16.04.201 में यह निर्णय पारित किया गया कि– **"सूचनाओं के संदर्भ में अधिनियमानुसार, बिन्दुवार, सटीक सूचना / विनिश्चिय जो प्रत्यर्थी / लोक प्राधिकारी की पहुच में अभिलेख पर है।"**

अतः माननीय जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के अपील सूचन अधिकार संख्या 80 / 2020 के द्वारा सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुजाईश नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदन द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उतर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है, चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है अतः सूचनाएं एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित हैं।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। जिला रसद अधिकारी स्वयं ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अधिनियमानुसार बिन्दुवार, सटीक सूचना, जो लोक प्राधिकारी की पहुंच में अभिलेख पर हो देय है और स्वयं द्वारा उक्त जानकारी होने [illegible] **जवाब बिन्दुवार एवं सटीक प्रस्तुत नहीं किया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

दूसरा बिन्दु संख्या 03 की सूचना खाद्य विभाग के पब्लिक डोमेन [illegible] उपलब्ध होना अंकित किया है और बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 5 में चाही गई [illegible] धारा 8(1)(जी), (एच), (जे) के तहत देय होना नहीं माना है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जी), (एच), (जे) निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 128 / 2025
(GCMS No. 2025/517)
(RTI No. 212133214946824)
राकेश कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

> **8. Exemption from disclosure of information** :-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen :
> (g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person of identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;
> (h) Information which would **impede the process of investigation** or apprehension or prosecution of offenders
> (j) information which relates to personal information the disclosure of **which has not relationship to any public activity** or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information;

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित हो एवं जिसमें वर्तमान में कोई जांच विचाराधीन हो, को छोड़कर, शेष सूचना जो अपीलार्थी द्वारा चाही गई है, वह किसी के जीवन / सुरक्षा, जांच में बांधा डालने वाली या व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित होना प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु संख्या 03 की सूचना को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर स्वयं ने पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होना अंकित किया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सार्वजनिक गतिविधि से सम्बन्धित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय होना प्रतीत होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य हे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना **अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।**

पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर